Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to include kurmi caste of West Bengal in the Scheduled Tribes list.

श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो (पुरुलिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं कुर्मी जाति समुदाय का सदस्य हूं। मेरे लोक सभा तथा पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों झारखंड एवं ओडिशा में भी इस जाति के लोग काफी संख्या में निवास करते हैं।

मान्यवर, 6 सितम्बर, 1950 को जब आजाद भारत में अनुसूचित जनजाति की सूची दोबारा बनाई जा रही थी, तब तत्कालीन 13 अनुसूचित जनजातियों की सूची से हमारी कुर्मी जाति को बिना किसी गजट नोटिफिकेशन के ही बाहर कर दिया गया। मान्यवर, गौरतलब है कि सन् 1931 की तत्कालीन सरकार ने भी जो 13 अनुसूचित जनजातियों की सूची थी, उसमें हमारी कुर्मी जाति का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा दिनांक 2 मई, 1913 को तत्कालीन सरकार की गजट नोटिफिकेशन संख्या 550 के अनुसार 13 अनुसूचित जनजातियों की सूची में हमारी कुर्मी जाति का नाम भी उल्लेखित था। परंतु 6 सितम्बर, 1950 को जब अनुसूचित जनजातियों की सूची दोबारा तैयार की जा रही थी, तब बिना किसी गजट नोटिफिकेशन के ही 13 अनुसूचित जनजातियों की सूची में से हमारी कुर्मी जाति को बाहर कर दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि दोबारा जल्द से जल्द हमारी कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।